न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :–श्री रणजीत कुमार आरएएस

मुकदमा संख्या :–228/2022

अनवान मुकदमा –

1. पूर्णाराम पुत्र प्रेमराम जाति जाट साकिन 6 बीएचएम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. प्रहलाद पुत्र प्रेमराम जाति जाट साकिन 6 बीएचएम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- वादीगण

बनाम

1. प्रेमराम पुत्र रामप्रताप जाति जाट साकिन 6 बीएचएम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. समेस्ता पुत्री प्रेमराम पत्नी राकेश कुमार जाति जाट साकिन 10 एलएम–बी तहसील अनुपगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

-- प्रतिवादीगण

–:वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि. बाबत घोषणा:–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री राजेन्द्र कुमार पटीर अधिवक्ता --- वादीगण
2. श्री शलेन्द्र कुमार नायक अधिवक्ता --- प्रतिवादी सं. 1 ता 2

–:: निर्णय :–

दिनांक – 07/06/2022

वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर. टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का पंजीकृत एवं प्रमाणित पता वहीं है जो वाद पत्र के शीर्षक में है। सजरा खानदान पेश किया गया है।

प्रतिवादी सं.1 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 6 बीएचएम के खाता सं. 112/51 के प.नं. 108/381 (45) किला नं. 1/2, 2, 9, 10/2, 11/2, 12, 19, 20/2, 21/2, 22, प.नं. 108/382 (70) किला नं. 3, 14/2 की कुल 2.6545 हैक. कमांड खातेदारी दर्ज रिकार्ड वाके है। नकल जमाबंदी सलग्न वाद पत्र की गई है।

वाद पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादी सं.1 को अपने पिता रामप्रताप से प्राप्त हुई है जो वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा निहित है। उक्त भूमि पूर्व में वादीगण के दादा रामप्रताप के नाम दर्ज रिकार्ड थी। जिसका श्रीमान न्यायालय सहायक कलैक्टर पीलीबंगा के यहां अनवान रोहिताश आदि बनाम गोपीराम आदि में वाद जैरकार था जिसका निर्णय श्रीमान न्यायालय द्वारा दिनांक 16.11.2021 को हो चुका है। प्रतिवादी सं.1 के नाम वर्णित भूमि प्रतिवादी सं.1 को जरिये डिक्री प्राप्त हुई है जो वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है। उक्त पैतृक कृषि भूमि बाबत वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य अर्सा दराज पूर्व घरेलू बंटवारा हो चुका है। जिसमें प्रतिवादी सं. 2 ने अपना तमाम हक व हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं.1 के पक्ष में छोड़ दिया है वह उक्त पैतृक कृषि भूमि में अपना हक व हिस्सा नही लेना चाहती है। प्रतिवादी सं.1 के नाम वर्णित उक्त कृषि भूमि में से वादीगण को 1.771

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.24 16:08:27 IST
Reason: SelfAttested

07.06.2022
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

हैक. भूमि ब.हि.ब. घरू बंटवारा में प्राप्त हुई है व शेष भूमि प्रतिवादी सं.1 को प्राप्त हुई है। वादीगण अपनी घरू बंटवारा में प्राप्त भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वादीगण को प्राप्त भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं.1 के नाम दर्ज होने से वादीगण की हकूक खातेदारी पर विपरीत असर पड़ता है। इसलिये वादीगण खातेदारी घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावेः-

घोषित किया जावे कि तहसील पीलीबंगा के चक 6 बीएचएम के खाता सं. 112/51 के प.नं. 108/381 (45) किला नं. 1/2, 2, 9, 10/2, 11/2, 12, 19, 20/2, 21/2, 22, प.नं. 108/382 (70) किला नं. 3, 14/2 की कुल 2.6545 हैक. कमांड खातेदारी में से वादीगण 1.771 हैक. कमांड खातेदारी भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 मय अधिवक्तागण न्यायालय में हाजिर आये। उभयपक्ष के वकीलों द्वारा पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित तहरीरशुदा राजीनामा अदालत हाजा के समक्ष पेश किया और प्रार्थना की गई कि दोनो पक्षों में राजीनामा हो चुका है। राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर वाद को डिक्री फरमाया जावे। प्रस्तुत राजीनामा पर उभयपक्ष की पहचान जरिये अधिवक्ता व जरिये दस्तावेज की गई। पहचान सिद्व होने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया।बहस उभयपक्ष सुनी गयी। जवाब स्टेट प्राप्त हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्यु) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है।

एआईआर 1976 एससी 807 के अनुसार यदि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

-:: आदेश ::-

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवोकन किया गया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त [illegible] अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि [illegible] वर्णित कृषि भूमि वादीगणएवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 की पैतृक खातेदारी भूमि [illegible] जद्दी जायदाद होने के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद में वर्णित

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.24 16:08:27 IST
Reason: SelfAttested

07.06.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 6 बीएचएम के खाता सं. 112/51 के प.नं. 108/381 (45) किला नं. 1/2, 2, 9, 10/2, 11/2, 12, 19, 20/2, 21/2, 22, प.नं. 108/382 (70) किला नं. 3, 14/2 की कुल 2.6545 हैक. कमांड खातेदारी में से वादीगण 1.771 हैक. कमांड खातेदारी भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। आदेशानुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

07.06.2022

(रणजीत कुमार, RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.24 16:08:27 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्में इब्तदाई
(आ0–20 रूल 6, 7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस
मुकदमा संख्या :–228/2022
अनवान मुकदमा –

1. पूर्णाराम पुत्र प्रेमराम जाति जाट साकिन 6 बीएचएम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. प्रहलाद पुत्र प्रेमराम जाति जाट साकिन 6 बीएचएम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

–– वादीगण

बनाम

1. प्रेमराम पुत्र रामप्रताप जाति जाट साकिन 6 बीएचएम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. समेस्ता पुत्री प्रेमराम पत्नी राकेश कुमार जाति जाट साकिन 10 एलएम–बी तहसील अनुपगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

–– प्रतिवादीगण

–: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि. बाबत घोषणा:–

–:: निर्णय ::–

दिनांक – 07/06/2022

वादीगणकी ओर से श्री राजेन्द्र कुमार पटीर अधिवक्ता एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 2 की ओर शलेन्द्र कुमार नायक, अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक को रणजीत कुमार आरएएस उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 6 बीएचएम के खाता सं. 112/51 के प.नं. 108/381 (45) किला नं. 1/2, 2, 9, 10/2, 11/2, 12, 19, 20/2, 21/2, 22, प.नं. 108/382 (70) किला नं. 3, 14/2 की कुल 2.6545 हैक. कमांड खातेदारी में से वादीगण 1.771 हैक. कमांड खातेदारी भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थंगन नही हो तथा भूमि रहन मुक्त हो तो नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अकंन किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफतर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 07/06/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.24 16:08:27 IST
Reason: SelfAttested

07.06.2022

(रणजीत कुमार RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा